कार्यालय वनमंडल अधिकारी, नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल, सागर (म.प्र.)

कार्यालय का पता – पोद्दार कॉलोनी के सामने, तिली रोड, फॉरेस्ट केम्पस,
सागर (म.प्र.) फोन/फैक्स नं. – 07582–236867
e-mail – dfowlndehi@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2024/ 174 **सागर, दिनांक** – 9/2/**2024**

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(कक्ष–भू प्रबंध),
म.प्र. भोपाल।

विषय :– जिला सागर के अंतर्गत कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 272.00 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :– 1. आपका पत्र क्र. 4094 दिनांक 12.09.2023.
2. कार्यालयीन पत्र क्र./551 दिनांक 31.01.2023.
3. गेम परिक्षेत्र अधिकारी, सिंगपुर पत्र क्र./219 दिनांक 07.02.2024.

-----0-----

विषयांकित में निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र से जिला सागर के अंतर्गत कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 272.00 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन को उपयोग पर देने बावत् प्रकरण में आपके संदर्भ्जित पत्र में अंकित क्र.3 बिन्दु क्र. (vi) के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि में उपस्थित कृषि भूमि, सड़क एवं वृक्षारोपण के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जावे। लेख किया गया है। तत्संबंध में कार्यालयीन पत्र क्र. 551 दिनांक 31.01.2023 द्वारा गेम परिक्षेत्र अधिकारी, सिंगपुर को मौका स्थल का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था। गेम परिक्षेत्र अधिकारी, सिंगपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 219 दिनांक 07.02.2024 से प्रकरण में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. उपरोक्त कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत निर्माण किये जाने वाले बांध की जल संसाधन विभाग द्वारा मौका स्थल पर गाड़ी गई एफ.टी.एल. की मुढ़ियां पाईं गई।
2. एफ.टी.एल. की मुढ़ियां के अनुसार डूब में वनग्राम घुघरी के ग्रामीणों से पूंछतांछ के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि उक्त कोपरा मध्यम परियोजना के निर्माण में वनग्राम घुघरी के 16 वन अधिकार पत्र धारकों की भूमि एवं 19 व्यक्तियों की राजस्व भूमि डूब क्षेत्र में प्रभावित हो रही है।
3. इसी प्रकार उपरोक्त कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत राजस्व विभाग की जमीन पर लगभग 1 से 1.5 हे. भूमि पर आंवला एवं सागौन प्रजाति का वृक्षारोपण होना पया गया, जिसकी रोपणी की अवधि करीब 16 से 18 वर्ष पूर्व का होना प्रतीत होती है। ग्राम घुघरी के ग्रामीणों एवं बाबूलाल पिता दलसींग गौड़, से.नि. उ.व.क्षे. द्वारा बताया कि उक्त वृक्षारोपण श्री चक्रेश पिता बाबूलाल जैन, निवासी ग्राम छिरारी के द्वारा राजस्व भूमि पर किया गया है।

प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

वनमंडल अधिकारी
नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल
सागर (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/मा.चि./2024/ 175 **सागर, दिनांक** – 9/2/**2024**

प्रतिलिपि :– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमंडल अधिकारी
नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल
सागर (म.प्र.)